

न्याया:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

समक्ष – वीरेन्द्र सिंह राजपूत

विशेष सत्र प्रकरण क्र० 90/2012

संस्थापन दिनांक-20-07-2012

म०प्र० म०क्षे०विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड गोहद ग्रामीण
द्वारा- कनिष्ठयंत्री चन्द्रशेखर सिंह

परिवादी

बनाम

मातादीन पुत्र गिरेन्द्र धानुक, उम्र 64 वर्ष,
निवासी ग्राम चितौरा, थाना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आरोपी द्वारा श्री भगवती राजौरिया अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 03.10.2017 को घोषित किया गया)

01. आरोपी के द्वारा उपभोक्ता बालाराम पुत्र भोगीराम को प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर विद्युत बिल की राशि बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 04.01.2011 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 15.02.2012 को आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में आरोपी पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 का आरोप लगाया है।

02. परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी जो कि म०प्र०म०क्षे० विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड गोहद ग्रामीण में कनिष्ठयंत्री के पद पर पदस्थ था जो कि परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता बालाराम पुत्र भोगीराम निवासी ग्राम चितौरा को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 90-01-36614 विद्युत उपयोग हेतु दिया गया था। उक्त कनेक्शन का उपयोग आरोपी मातादीन के द्वारा किया जा रहा था। उपभोक्ता के उक्त कनेक्शन पर बिल की

बकाया राशि रूपए 28,602/- रूपए होने से और बिल जमा न करने के कारण दिनांक 16.12.2011 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस भेजा गया। तत्पश्चात् कनिष्ठयंत्री द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। तत्पश्चात् उक्त कनेक्शन को दिनांक 04.01.2011 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया और विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश आरोपी को दिया गया। दिनांक 15.02.2012 को कनिष्ठयंत्री चन्द्रशेखर एवं सहकर्मचारी उमेश शर्मा एवं रामअवतार ओझा के साथ उक्त कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पाया कि आरोपी ने उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः आपराधिकृत रूप से एल.टी. लाइन से सीधे तार जोड़कर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते पाया गया इस संबंध में मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। तत्पश्चात् परिवादपत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपिया ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी रामअवतार प0सा0 1, उमेश कुमार शर्मा प0सा0 2 एवं चन्द्रशेखर कुशवाह प0सा0 3 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04. **इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :**

01. क्या उपभोक्ता बालाराम को प्रदत्त विद्युत कनेक्शन बिल की बकाया राशि होने के कारण काट दिया गया था?
02. क्या आरोपी ने उक्त कटे हुए विद्युत कनेक्शन को पुनः जोड़कर अनाधिकृत रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया?
03. दण्डादेश यदि कोई हो?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05. प्रकरण में परिवादी की ओर से यह आधार लिया गया है कि बालाराम पुत्र भोगीराम को कनेक्शन क्रमांक 90-1-36614 दिया गया था जिस पर 28,602/- रुपये का बिल बकाया था जिसे दिनांक 16.12.2011 को सूचना दी गई थी और राशि जमा न करने पर दिनांक 04.01.2012 को विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था। उक्त आशय के संबंध में साक्षी रामअवतार प0सा0 1, उमेश कुमार शर्मा प0सा0 2 एवं चन्द्रशेखर प0सा0 3 के कथन रहे हैं।

06. बचाव पक्ष की ओर से प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया है कि न तो आरोपी के नाम से कनेक्शन है और न ही आरोपी आरोपी उपयोगकर्ता है और न ही आरोपी का बालाराम से कोई संबंध है और आरोपी के विरुद्ध यह मिथ्या प्रकरण तैयार किया है।

07. प्र0पी0 1 का पंचनामा साक्षी चंद्रशेखर कुशवाह प0सा0 3 के द्वारा तैयार किया गया है। इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि बालाराम को जारी कनेक्शन को चेक करने वह दिनांक 15.02.2012 को पहुँचे थे तो उस समय आरोपी मातादीन द्वारा अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया जा रहा था। इस साक्षी ने मौके पर उमेश शर्मा एवं रामअवतार ओझा के उपस्थित होने संबंधी कथन भी किए हैं।

08. साक्षी रामअवतार प0सा0 1 जो कि निरीक्षण दल का सदस्य होना बताया गया है का अपने कथनों में कहना रहा है कि उनके समक्ष प्र.पी. 1 का पंचनामा तैयार किया गया था जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे, किन्तु साथ ही साक्षी का यह भी कहना रहा है कि ग्राम चितौरा में कौन कौन अवैध तरीके से लाइट जलाता है उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि लाइनमेन ही चैकिंग का काम करता है वह नहीं तथा विल वितरण वाले व्यक्ति को जानकारी रहती है, किन्तु साक्षी ने अपने कथनों में यह भी

स्वीकार किया है कि जिस समय वह चैकिंग के लिए गया था उस समय लाइनमेन और विल वितरक मुन्ने खों एवं मधुराज उनके साथ नहीं गए थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जिस समय वह मौके पर पहुँचे थे वहाँ मौके पर चक्की पर कोई आटा पिसाने वाला नहीं था। इस साक्षी ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि चक्की बालाराम की है, जबकि मातादीन की चक्की में हिस्सेदारी है।

09. प्रकरण में परिवादी साक्षी चन्द्रशेखर कुशवाह प0सा0 3 एवं साक्षी रामअवतार प0सा0 1 एवं उमेश कुमार प0सा0 2 ने अपने कथनों में स्वीकार किया है कि बालाराम एवं आरोपी मातादीन अलग अलग परिवार के व्यक्ति हैं। जहाँ तक परिवादी साक्षियों का आरोपी मातादीन के बालाराम के साथ चक्की चलाने में शामिल होने के संबंध में कोई दस्तावेजी या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. प्रकरण में स्वीकृत रूप से कनेक्शन क्रमांक 90-01-36614 बालाराम के नाम पर जारी किया गया है, किन्तु प्रकरण में बालाराम को आरोपी के रूप में संयोजित क्यों नहीं किया गया है इसका कोई स्पष्टीकरण परिवादी की ओर से नहीं दिया गया है और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण परिवादी साक्षियों के कथनों में आया है।

11. प्र.पी. 1 का पंचनामा पर आरोपी मातादीन के हस्ताक्षर हो ऐसा साक्षियों का कहना नहीं रहा है। प्रकरण में निरीक्षण किए गए स्थल के स्वामी की ओर से छविराम के हस्ताक्षर कराए गए हैं। साक्षी चन्द्रशेखर कुशवाह प0सा0 3 का अपने कथनों में कहना रहा है कि छविराम आरोपी मातादीन का पुत्र है। मौके पर आरोपी उपस्थित था, इस संबंध में परिवादी साक्षी के कथनों के अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। यदि इस संबंध में साक्षी चन्द्रशेखर कुशवाह अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 का अवलोकन किया जाए तो साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्र.पी. 1 की लिखापट्टी के दौरान मातादीन मौके पर नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में परिवादी की ओर से लिया गया यह आधार परिवादी साक्षियों की स्वीकारोक्ति से ही संदेहास्पद हो जाता है कि निरीक्षण के दौरान

आरोपी अवैध रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया था।

12. साक्षी उमेश कुमार प0सा0 2 का अपने कथनों में कहना रहा है कि बालाराम के साथ मातादीन की हिस्सेदारी थी जिससे ऐसा दर्शित होता है कि परिवादी अधिकारियों को पूर्व से जानकारी थी कि स्वामित्व बालाराम का है, किन्तु उसके उपरांत भी बालाराम को आरोपी न बनाना और हिस्सेदारी के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत न करना परिवादी के मामले को और संदेहास्पद बना देता है।

13. परिवादी साक्षियों की ओर से आरोपी के द्वारा चक्की चलाए जाने का आधार लिया गया है, किन्तु यदि प्रकरण में प्र0पी0 2 व 3 के सूचनापत्र का अवलोकन किया जाए तो उक्त दोनों सूचनापत्र बालाराम को भेजे गए हैं। ऐसी स्थिति में प्र.पी. 2 व 3 के दस्तावेज से ऐसा दर्शित होता है कि परिवादी अधिकारियों को चक्की पर बालाराम के आधिपत्य की जानकारी थी और इसी कारण बालाराम को नोटिस दिया गया था।

14. प्रकरण में परिवादी साक्षियों द्वारा बालाराम एवं मातादीन के मध्य चक्की की हिस्सेदारी को लेकर कथन किए गए हैं, किन्तु इस आशय की कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। प्रकरण में बालाराम को आरोपी न बनाया जाना मामले में और संदेह उत्पन्न करता है। निरीक्षण की गई चक्की का आधिपत्य आरोपी के पास था इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। निरीक्षण के समय आरोपी मातादीन मौके पर उपस्थित नहीं था ऐसा साक्षी चन्द्रशेखर प0सा0 3 ने अपने कथनों में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी मातादीन चक्की को अवैध रूप से चला रहा था संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

15. दांडिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दांडिक मामलों में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया जाना चाहिए और जहाँ संदेह हो वहाँ संदेह का लाभ आरोपी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्नगत प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी ने अपना परिवाद आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है।

16. अतः उपरोक्त विवेचित एवं निष्कर्षित परिस्थितियों में परिवादी आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।
17. परिणामतः आरोपी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)(ख) के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
18. आरोपी जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके व बंधपत्र उन्मोचित किये जाते हैं।
19. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0